R- 3382/एर/13

शाजापुर

(11)

रामचरण पिता सेवाजी जाति हरिजन (चमार) उम्र 37 साल
धंधा कृषि निवासी ग्राम झोंकर तह व जिला शाजापुर (म0प्र0)

............आवेदक

विरूद्व

01. शान्तीलाल पिता खुमानसिंह उम्र 55 साल
02. रामचन्द्र पिता मांगीलाल उम्र 48 साल
03. चोकेलाल पिता मांगीलाल उम्र 45 साल
04. उँकारलाल पिता वापुसिह उम्र 55 साल
05. बद्रीलाल पिता वापुसिंह उम्र 50 साल समस्त

निवासीगण झोकर तह0 व जिला शाजापुर (म0प्र0)

..........अनावेदकगण

(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3382–एक / 13 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–08–2014	ग्राह्यता के प्रश्न पर आवेदक अधिवक्ता को सुना । अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31–3–1979 को पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण का भी अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक के पिता को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है अतः उनकी जानकारी में उक्त आदेश पारित किया गया है । उक्त प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश में आवेदक के पिता की सहमति भी रही है । ऐसी स्थिति में लगभग 33 वर्ष के बाद उक्त आदेश की अपील आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर जो समय सीमा का लाभ चाहा गया, को अमान्य करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा समय सीमा का जो लाभ चाहा जा रहा है वह सद्भाविक आधारों पर नहीं है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उसके पिता की उपस्थिति में तथा उनकी सहमति से हुआ है अतः इस निगरानी का कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	

03. यह